भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्नि संख्या 398

दिनांक 20 मार्च, 2020 को उत्तेर के लिए

शी-बॉक्स

***398. श्री रंजीत सिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकरः**
श्री शान्तनु ठाकुरः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम , 2013 के अंतर्गत शी-बॉक्स को सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से जोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप लैंगिक उत्पीड़न के मामलों की संख्या में गिरावट आई है;

(ग) क्या इसने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में सरकार की मदद की है; और

(घ) क्या निजी क्षेत्र भी इस उपबंध के अंतर्गत आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तघर

श्रीमती स्मृतति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

'शी-बॉक्स' विषय पर श्री रंजीत सिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर और श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्त र के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

(क) से (घ) : कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम (शी अधिनियम) 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली का विकास किया है।

यह पोर्टल शी अधिनियम के अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए केंद्र सरकार (क्रेंदीय मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएं एवं निकाय आदि), राज्य सरकार या निजी संगठनों के किसी कार्यालय में काम करने वाली या दौरा करने वाली महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए विकसित किया गया। जिन्होंने शी अधिनियम के अंतर्गत गठित संबंधित आंतरिक समिति (आईसी) या स्थानीय समिति (एलसी) में अपनी लिखित शिकायत दाखिल पहले ही करा दी है वे भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए पात्र हैं।

पोर्टल की कार्य पद्धति ऐसी है कि शी बॉक्स के अंदर सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की आंतरिक समितियों में अंतरनिर्मित खाता है। शी बॉक्स में शिकायत प्रस्तुत किए जाने पर यह संबंधित मंत्रालय/विभाग जिसके पास मामले में कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार होता है, की आंतरिक समिति के खाते में स्वत: चली जाती है।

जहां तक राज्य सरकारों एवं निजी संगठनों से संबंधित शिकायतों का संबंध है , ऐसी सभी शिकायतें संबंधित जिले में नियुक्त/नामित जिला अधिकारी/जिला नोडल अधिकारी के खाते में स्वत: चली जाती हैं जो मामले में कार्रवाई करने के लिए संबंधित कार्यालय/जिले की आंतरिक समिति/स्थानीय समिति को ऐसी शिकायत अग्रेषित करते हैं।

परिवार के अंदर और समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आर्थिक स्वतंत्रता प्रमुख कारकों में से एक है। अन्यों के अलावा इससे न केवल कार्यबल में उनकी उपस्थिति बढ़ेगी अपितु कार्यस्थल पर अनुकूल माहौल सृजित होगा ताकि अधिकाधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो सकें।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में कार्य पर या कार्यालय परिसर में यौन उत्पीड़न के 479 मामले दर्ज किए गए जबकि 2018 में कार्य पर या कार्यालय परिसर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के 401 मामले दर्ज किए गए हैं।

****